

मदालत

सहायक कलेक्टर (SDO)

मुकाम

विशानारायण गौत

बनाम

अराराम गौत

किस्म मुकदमा

राजस्व सार्वजनिक

नं

276/19

सन्

2019

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>8-8-19</p> <p>1109/19</p>	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>विशानारायण गौत</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RCRA Act</u></p> <p>राजस्थान कायदाकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन</p> <p>तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>10/9/19</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>27</u></p> <p style="text-align: center;">सहायक कलेक्टर (SDO)</p> <p>किसका होने से पत्रावली काज प्रेषित हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/गौत नोटिस तामील करके तामील बिगुल। इन्तजाह होकर पत्रावली दिनांक 15/10/19 को पेश हो। पुनः विप्रार्थी/गौत के नोटिस तामिल करुडा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली हीना गमा। तामिल समय तीन बार कावाज लाई गई। किलिम कावाज 5-45 PM पर लाई गई विप्रार्थी-गौत स्वयं या उनके फारे से कोई कथिबन्ना उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके बिगुल एड-तरफा डाकवाही कार्यालय में लाई जाली है। अतः वास्ते लहम पत्रावली दिनांक 15/10/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलेक्टर (SDO)</p> <p style="text-align: center;">वायत</p>	

15/10/19

/ वा. 2019 /

प्राथी

विश्वनाथम पुत्र
निवासी

प्राथी वहील उपलब्धत । विजापीगिग वावतुड
 लामिल अनुउपलब्धत । प्राथी अशिवन्तु ही उपलब्ध
 वरुत खुनी गई प्राथी के अशिवन्तु द्वारा निवेदन
 किया गया कि प्राथी व विजापीगिगों के प्यालेदारी
 खेत लेना सैठ काये हुए ही प्राथी व विजापीगिगों
 के खेतों के मध्य जो पुरानी माठे व डोके काये हुए
 थे जो वर्तमान में काथियों की वजह से खिजा गये
 हैं जिस कारण प्राथी व विजापीगिगों के खिय लेना
 ही लेकर तनाजा बना रहला ही लमा वर्षात होने
 पर विजापीगिग प्राथी के प्यालेदारी खेतों में जबदस्ती
 डालत हुए लेने ही इसलिए प्राथी को अपने प्यालेदारी
 खेतों की पन्नी नैयामबनी डवाना काबयडु है कि
 इसलिए प्राथी का नैयामबनी कावेन टवीडा किया
 जाडर नैयामबनी कावेन किया जावे।

कतः प्राथी अशिवन्तु के निवेदन
 पर प्राथी का नैयामबनी कावेन टवीडा किया जाडर
 लहरीलगात वावतु ही डमिशानत निमुक्त व लम्बान्धत
 अं अशिवन्तु निरिलडु डे लहायडु डमिशानत निमुक्त
 किया जाडर कावेन किया जाला है कि प्राय स्वयं
 या लहायडु डमिशानत ले प्राथी के प्यालेदारी खेतों की
 पन्नी नैयामबनी माठे पर डमिशानत मुलु लपये -
 500/- जमाडाडर डरे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर
 शामिल पत्रावली ही पत्रावली केमल सुमात डीडा डर
 नम्बर में डम ही दाखिल दफतर ही।

सहायक कलेक्टर (SDO)
 वायतु

राजस्थान सरकार

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क/वाद/2019/ 808

दिनांक:- 18/10/19

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

विशनाराम पुत्र अचलाराम जाति जाट
निवासी धतरवालों का सरा

भैराराम पुत्र मानाराम वगैरा
निवासी धतरवालों का सरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 276/2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा धतरवालों का सरा पटवार हल्का छीतर का पार तहसिल बायतु जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 27 रकबा 77.07 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/- जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।



आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

दिनांक:- 18/10/19
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2019/ 809-13

दिनांक:- 18/10/19

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री विशनाराम पुत्र अचलाराम
4. विप्रार्थीगण भैराराम पुत्र मानाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु/गिड़ा

दिनांक:- 18/10/19
उपखण्ड अधिकारी बायतु

